

मध्य प्रदेश शासन
नर्मदा घाटी विकास विभाग
मंत्रालय
/आदेश/

५

क्रमांक एफ. 13-10/2015/सत्ताईस-एक

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2019

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के गठन हेतु मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संकल्प क्रमांक 500-2-न.घ.वि.-सत्ताईस-83, दिनांक 16 जुलाई, 1985 की कंडिका-7 में निहित प्रावधान के आलोक में तथा कंडिका-9 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्वारा श्री सुधि रंजन मोहन्ती, भाप्रसे (1982), मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक अध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का प्रभार सौंपता है ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(प्रतिभा ढोरे)

उप सचिव,

मध्य प्रदेश शासन

नर्मदा घाटी विकास विभाग

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी, 2019

पृ. क्रमांक एफ. 13-10/2015/सत्ताईस-एक
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, अध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल ।
2. निज सचिव, उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल ।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन/वन/किसान कल्याण एवं कृषि विकास/नगरीय विकास एवं आवास/जल संसाधन/उर्जा/लोक निर्माण विभाग ।
4. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री ।
5. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय ।
6. सचिव, राज्यपाल, मध्य प्रदेश, राजभवन, भोपाल ।
7. निज सचिव, माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग/नर्मदा घाटी विकास विभाग ।
8. आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर ।
9. महालेखाकार, आडिट-1/II/निधि-14, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल ।
10. उप सचिव (लेखा), मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, कक्ष-6
11. अवर सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (अधीक्षण/स्थापना) ।
12. मुख्य लेखाधिकारी, मध्य प्रदेश मंत्रालय, भोपाल ।
13. मुख्य सूचना अधिकारी, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल । उक्त आदेश को प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें ।
14. नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश भोपाल को अगले राजपत्र में प्रकाशनार्थ ।



उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

नर्मदा घाटी विकास विभाग

मध्य प्रदेश शासन
नर्मदा घाटी विकास विभाग
मंत्रालय-वल्लभ भवन-भोपाल-462004

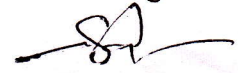
-:: आदेश ::-

भोपाल, दिनांक 31 अगस्त, 2017

क्रमांक एफ 13-14/2015/सत्ताईस-एक-राज्य शासन एतद द्वारा श्री प्रमोद कुमार मुदगल मुख्य अभियन्ता, अपर नर्मदा जोन जबलपुर के दिनांक 31 अगस्त 2017 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप श्री आर0पी0मालवीय मुख्य अभियन्ता, रानी अवंती बाई लोधी सागर परियोजना, जबलपुर को अपने कार्य के साथ-साथ आगामी आदेश तक मुख्य अभियन्ता, अपर नर्मदा जोन जबलपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार



(प्रतिभा ढोरे)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

नर्मदा घाटी विकास विभाग

पृ0क्रमांक एफ 13-14/2015/सत्ताईस-एक,

भोपाल, दिनांक 31 अगस्त, 2017

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
2. प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
3. समस्त सदस्य नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल।
4. संचालक (प्रशासन) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल।
5. मुख्य अभियन्ता, रानी अवंती बाई लोधी सागर परियोजना, बरगी हिल्स जबलपुर/अपर नर्मदा जोन जबलपुर।
6. मुख्य सूचना अधिकारी, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल की ओर विभाग की वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7. निज सहायक, माननीय राज्यमंत्री जी (स्व0प्र0), नर्मदा घाटी विकास विभाग भोपाल।
8. निज सचिव, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल।
9. श्री आर0पी0 मालवीय, मुख्य अभियन्ता, रानी अवंती बाई लोधी सागर परियोजना, बरगी हिल्स, जबलपुर।
10. आर्डर बुक।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

नर्मदा घाटी विकास विभाग